

नगर निगम, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)

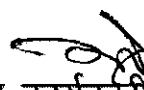
क्रमांक : एफ-1 () सीईओ (सा.प्र.) / जननि. / 2013 / 1262 दिनांक:- 21/3/13

परिपत्र

नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों को सरल एवं त्वरित गति से सम्पादित किये जाने के उद्देश्य से निम्न निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं:-

1. नगर निगम, जयपुर क्षेत्र में आवंटित भूखण्डों का स्वामित्व निर्धारण भूखण्ड हेतु जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान एवं उसके पश्चात् जारी किये गये पट्टे इत्यादि से निर्धारित होता है। नाम हस्तान्तरण से किसी व्यक्ति को स्वामित्व सम्बन्धी केवल वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो की पूर्व स्वामी को प्राप्त थे। इस प्रकार नाम हस्तान्तरण में कोई नवीन अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण मौका रिपोर्ट लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इससे प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः भविष्य में नाम हस्तान्तरण के सभी प्रकरणों में मौका रिपोर्ट लिया जाना वांछनीय नहीं होने से समाप्त किया जाता है।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सहायक, मा0 महापौर/उपमहापौर, नगर निगम, जयपुर।
2. आयुक्त (मुख्यालय/कार्मिक/राजस्व/आयोजना), नगर निगम, जयपुर।
3. निदेशक (विधि), नगर निगम, जयपुर।
4. समस्त जोन आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, नगर निगम, जयपुर।
6. गार्ड फाईल।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर